//

महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या–705 /नौ–9–16–193 ज/13

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,उ0प्र0।

(2) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2016

विषय– नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना/आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–677/नौ–9– 2016–193ज/13,दिनांक 18.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1359/नौ–9–2012–199ज/2006,दिनांक 10.09.2012 की व्यवस्था को पुनः प्रभावी करते हुये केन्द्रीय वित्त आयोग तथा अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति यथास्थिति–मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रदेश की अधिकांश नागर निकायों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 18.05.2016 के निर्गत होने के बावजूद मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त न करते हुये पूर्व की तिथि में अपने स्तर से कार्य योजना/आगणन का अनुमोदन प्रदान करते हुये बिलों का भुगतान किया जा रहा है। यह कार्यवाही शासनादेश के विरूद्ध है। अतः प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.05.2016 के निर्गत होने के पूर्व के 15 दिनों में निकाय द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कार्ययोजना/आगणन का प्रस्ताव शासन की संवीक्षा हेतु <u>तत्काल</u> उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण का शासन स्तर पर परीक्षण करते हुये अग्रतर आदेश/दिशा–निर्देश निर्गत किया जा सके।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव,मा0मंत्री,नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त महापौर/अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश। .
4. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
5. समस्त अनुभाग,नगर विकास विभाग ।
6. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।